

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

महोदयजी,
उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि शर्फी के पार्श्व पट
व सरकारी दस्तावेज अनुसार राजपूत डिगंडे मोजा - मारुवास की
ख्याता संख्या - 165, 181, 182, 183, 294, 295 में शर्फी का नाम
दुर्गासिंह पुत्र अंबरसिंह राजपूत के बजाय दुर्गासिंह पुत्र
अंबरसिंह राजपूत किया जाना उचित है रिपोर्ट फेंडा है

Mil Jodha
(मारासिंह मोजा)
07/07/23

[Signature]
07/07/2023
पटवारी नऊवा

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट भू.अ.नि. केमली व डिपटवारी हल्का नऊवा अनुसार
मोजा मारुवास की ख्याता संख्या 165, 181, 182, 183, 294, 295
में शर्फी का नाम दुर्गासिंह पुत्र अंबरसिंह राजपूत के बजाय
दुर्गासिंह पुत्र अंबरसिंह राजपूत दर्ज करने की अनुशासना की जाती
है

7.7.23
तहसीलदार (भू.अ.) मावली
जिला-उदयपुर (राज.)

प्रकरण सं. - 145/23 आदेश
निर्णय - 21/09/2023

तहसीलदार मावली की अनुशासना के आधार पर शर्फी का
नाम मोजा मारुवास की ख्याता संख्या 165, 181, 182, 183,
294, 295 में शर्फी का नाम दुर्गासिंह पुत्र अंबरसिंह राजपूत
के बजाय दुर्गासिंह पुत्र अंबरसिंह राजपूत किया जाने का आदेश
दिया जाता है उक्त दुर्गासिंह



उपखण्ड अधिकारी
मावली, जिला-उदयपुर
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) मावली

